[2021] 2 उम. नि. प. 122

एन. विजयकुमार

बनाम

तमिलनाडु राज्य

[2021 की दांडिक अपील सं. 100-101]

3 फरवरी, 2021

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम. आर. शाह

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) – धारा 7, 13(1)(घ) और 13(2) – लोक सेवक द्वारा अवैध परितोषण की मांग करना और प्रतिगृहीत करना – शिकायतकर्ता और अन्य साक्षियों के साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास पाया जाना – छापामार दल द्वारा अभियुक्त के हाथों का परीक्षण उसे धन सौंपे जाने के तुरंत पश्चात् न कराया जाना – शिकायतकर्ता द्वारा अभियुक्त से पूर्ववर्ती वैर-भाव होने की बात स्वीकार किया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना – दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में अपील न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना – भ्रष्टाचार निवारण से संबंधित मामले में यदि सारभूत साक्ष्य विश्वसनीय नहीं पाया जाता है और रिश्वत की मांग करने की बात सिद्ध नहीं होती है, तो दूषित धन की मात्र बरामदगी अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है और अभियुक्त को संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त करना उचित होगा ।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 – धारा 7, 13(1)(घ) और 13(2) – लोक सेवक द्वारा अवैध परितोषण की मांग और पदीय कृत्यों के निर्वहन में आपराधिक अवचार किया जाना – भ्रष्टाचार निवारण के छापामार दल द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाना – साक्षियों के साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास होने के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना – दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाना – जहां भ्रष्टाचार

निवारण के मामले में अभिलेख पर के साक्ष्य और तात्विक साक्षियों का साक्ष्य विश्वसनीय न पाए जाने के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा एक "संभाव्य मत" अपनाते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया हो और दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में यदि अपील न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति को उलटते हुए अभिलेख के साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया गया हो कि विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया मत एक "संभाव्य मत" था या नहीं, वहां ऐसी दोषमुक्ति में किए गए हस्तक्षेप को उचित नहीं कहा जा सकता है और अभियुक्त के विरुद्ध मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित न होने के कारण उसकी दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी-अभियुक्त मदुरै नगरपालिका निगम के वार्ड सं. 8 में सफाई निरीक्षक के रूप में कार्यरत था । उसे अधिनियम की धारा 13(1)(घ) के साथ पठित धारा 7 और 13(2) के अधीन अपराध के लिए यह अभिकथन करते हुए आरोप-पत्रित किया गया था कि उसने अभि. सा. 2 (थिरु डी. गोपाल) से अवैध परितोषण के रूप में 500/- रुपए और एक सेलफोन की मांग की थी, जो नीट एंड क्लीन सर्विस स्क्वाड (एनएसीएसएस) नामक एक स्वैच्छिक सेवा संगठन में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहा था, जिसे मदुरै निगम के वार्ड सं. 8 में संविदा के आधार पर सफाई का कार्य दिया गया था । अभियोजन पक्ष का यह पक्षकथन था कि मार्च, 2003 की अवधि से परे कार्य के विस्तार के लिए अपनी रिपोर्ट भेजने के लिए जब अभि. सा. 2 तारीख 9 और 10 अगस्त, 2003 को उससे मिला था तब ऐसी मांग की गई थी, इसलिए अपीलार्थी ने एक लोक सेवक होने के नाते अवैध परितोषण की मांग की थी और अपने पदीय कृत्य के प्रयोग में पदीय कृत्य करने के लिए तारीख 10 अक्तूबर, 2003 को हेतु या इनाम के रूप में अवैध परितोषण प्रतिगृहीत किया था और तद्द्वारा उसने अवचार कारित किया था जो कि अधिनियम की धारा 7, 13(2) और 13(1)(घ) के अधीन दंडनीय है । आरोप से इनकार करने पर, उसके विरुद्ध पूर्वोक्त अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए और उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया । इसलिए पूर्वोक्त अभिकथित अपराधों के लिए विशेष

न्यायालय के समक्ष उसका विचारण किया गया । विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करते हुए तारीख 25 फरवरी, 2014 के निर्णय द्वारा अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया । विशेष न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर राज्य ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै न्यायपीठ के समक्ष दांडिक अपील फाइल की । मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै न्यायपीठ के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा दोषमुक्ति को उलट दिया गया और अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 7, 13(2) और 13(1)(घ) के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल कीं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – सभी साक्षियों, अर्थात्, अभि. सा. 2, 3, 5 और 11 के अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट है कि छापा 5.45 बजे अपराह्न में मारा गया था और अपीलार्थी के हाथों का परीक्षण केवल 7.00 बजे अपराह्न में किया गया था । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 11 ने प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया था कि जब वे घटनास्थल को लगभग एक घंटे से मानिटर कर रहे थे और उस अवधि के दौरान अपीलार्थी के कार्यालय में बहुत सारे व्यक्ति आए और बाहर गए थे । स्वीकृत रूप से, फिनोलफेथालियन परीक्षण पूर्ण होने के पश्चात्, अपीलार्थी का कथन सतर्कता मैनुअल के नियम 47 के खंड 1 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार अभिलिखित नहीं किया गया था । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 11 ने प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप में यह भी अभिसाक्ष्य दिया था कि उसने अपीलार्थी-अभियुक्त के हाथों का परीक्षण धन का संदाय करने और सेलफोन सौंपने के तुरंत पश्चात् नहीं किया था । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 11 दोनों ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया था कि जब टीएलओ ने रिश्वत की रकम और सेलफोन के बारे में पूछा था, केवल तब अभियुक्त ने अपनी मेज की बाईं तरफ की दराज से निकाल कर इन्हें प्रस्तुत किया था । यह भली-भांति सुस्थिर है कि जब मामले में सारभूत साक्ष्य विश्वसनीय न हो, दूषित धन की मात्र बरामदगी, जिसका उन परिस्थितियों से मेल नहीं खाता है जिनमें वह धन और

वस्तु पाई है, अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है । मुख्य साक्षियों के अभिसाक्ष्य में ऊपर यथा उल्लिखित तात्विक विरोधाभासों को देखते हुए संदेह का फायदा अभियुक्त-अपीलार्थी को मिलना चाहिए । अभिलेख पर के साक्ष्य से इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि तात्विक विरोधाभासों को ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि दोषमुक्ति एक "संभाव्य मत" है । साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि जब निरीक्षणकर्ता अधिकारी और अन्य साक्षी, जिनकी अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षा की गई थी, अपीलार्थी-अभियुक्त के कार्यालय गए थे, तब अपीलार्थी कार्यालय में नहीं था और कार्यालय खुला था तथा लोग अपीलार्थी के कार्यालय में आ-जा रहे थे । अभि. सा. 3, 5 और 11 के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा करंसी नोट और सेलफोन मेज की दराज से उनके कहने पर निकाले गए थे । इसका भी कोई कारण नहीं है कि जब दूषित नोट और सेलफोन 5.45 बजे अपराह्न में अपीलार्थी को दिए गए थे, कोई अभिलेखन नहीं किया गया था और अभि. सा. 11 द्वारा 7.00 बजे अपराह्न तक अपीलार्थी का परीक्षण नहीं किया गया था । अभि. सा. 2 के अभिसाक्ष्य में तात्विक विरोधाभास हैं और उसके अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसे अपीलार्थी से विद्वेष हो गया था और उसने स्वयं प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया था कि पूर्व में उसका अपमान किया था चूंकि वह अनुसूचित जाति का है । इसके अतिरिक्त, दूषित नोट और सेलफोन सौंपने के लगभग एक घंटे के पश्चात् फिनोलफेथालियन परीक्षण करने के लिए अभि. सा. 11 का कोई उत्तर नहीं है । विचारण न्यायालय ने अभि. सा. 2, 3 और 5 को कई सारे विधिमान्य और तर्कपूर्ण कारण अभिलिखित करके अविश्वसनीय ठहराया था, किंतु उच्च न्यायालय ने उचित परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का मूल्यांकन किए बिना विचारण न्यायालय द्वारा अपनाए गए मत को उलट दिया । इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किया कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया मत एक "संभाव्य मत" है या नहीं । यद्यपि, उच्च न्यायालय का यह मत था कि अभि. सा. 2, 3 और 5 पर विश्वास किया जा सकता है, तो भी जब

तक यह अभिनिर्धारित नहीं किया जाता है कि साक्षियों को अविश्वसनीय ठहराने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया मत एक संभाव्य मत नहीं है, उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित की गई दोषमुक्ति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था । तात्विक विरोधाभासों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया है । (पैरा 9 और 11)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2017] (2017) 5 एस. सी. सी. 719 = ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 1723 : **हाकीम खान और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 10

[2014] (2014) 13 एस. सी. सी. 55 : **बी. जयराज** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ; 12

[2012] (2012) 10 एस. सी. सी. 383 : **मुरुगेसन और अन्य** बनाम **राज्य** मार्फत **पुलिस निरीक्षक** ; 6, 10

[2009] (2009) 3 एस. सी. सी. 779 : **सी. एम. गिरिश बाबू** बनाम **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, कोचीन, केरल** ; 12

[2008] [2008] 4 उम. नि. प. = (2007) 4 एस. सी. सी. 415 : **चंद्रप्पा और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य** ; 10

[2001] (2001) 7 एस. सी. सी. 318 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 3173 : **अनिल राय इत्यादि** बनाम **बिहार राज्य** । 6

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2021 की दांडिक अपील सं. 100-101.

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै न्यायपीठ के तारीख 28 अगस्त, 2020 और 22 सितम्बर, 2020 के निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से — सर्वश्री एस. नागामुथु, ज्येष्ठ अधिवक्ता, एम. पी. प्रतिबान, ए. एस. वैरावन, मणिप्रभू, संतोष, आर. सुधाकरण और सुश्री शालिनी मिश्रा

प्रत्यर्थी की ओर से — सर्वश्री एम. योगेश कन्ना, राजा राजेश्वरन एस., आदित्य चड्ढा और उमा प्रसुन बाचू

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी ने दिया ।

न्या. रेड्डी – इजाजत दी गई ।

2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय, मदुरै की फाइल पर 2011 के विशेष कलेंडर मामला सं. 49 में एकमात्र अभियुक्त ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै न्यायपीठ द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 13(1)(घ) के साथ पठित धारा 7 और 13(2) के अधीन तारीख 28 सितम्बर, 2020 और 22 सितम्बर, 2020 के निर्णय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि और तारीख 15 सितम्बर, 2020 और 29 सितम्बर, 2020 के आदेश द्वारा अधिरोपित दंडादेश से व्यथित होकर ये अपीलें फाइल की हैं ।

3. अपीलार्थी-अभियुक्त मदुरै नगरपालिका निगम के वार्ड सं. 8 में सफाई निरीक्षक के रूप में कार्यरत था । उसे अधिनियम की धारा 13(1)(घ) के साथ पठित धारा 7 और 13(2) के अधीन अपराध के लिए यह अभिकथन करते हुए आरोप-पत्रित किया गया था कि उसने अभि. सा. 2 (थिरु डी. गोपाल) से अवैध परितोषण के रूप में 500/- रुपए और एक सेलफोन की मांग की थी, जो नीट एंड क्लीन सर्विस स्क्वाड (एनएसीएसएस) नामक एक स्वैच्छिक सेवा संगठन में पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहा था, जिसे मदुरै निगम के वार्ड सं. 8 में संविदा के आधार पर सफाई का कार्य दिया गया था । अभियोजन पक्ष का यह

पक्षकथन था कि मार्च, 2003 की अवधि से परे कार्य के विस्तार के लिए अपनी रिपोर्ट भेजने के लिए जब अभि. सा. 2 तारीख 9 और 10 अगस्त, 2003 को उससे मिला था तब ऐसी मांग की गई थी, इसलिए अपीलार्थी ने एक लोक सेवक होने के नाते अवैध परितोषण की मांग की थी और अपने पदीय कृत्य के प्रयोग में पदीय कृत्य करने के लिए तारीख 10 अक्तूबर, 2003 को हेतु या इनाम के रूप में अवैध परितोषण प्रतिगृहीत किया था और तद्द्वारा उसने अवचार कारित किया था जो कि अधिनियम की धारा 7, 13(2) और 13(1)(घ) के अधीन दंडनीय है । आरोप से इनकार करने पर, उसके विरुद्ध पूर्वोक्त अपराधों के लिए आरोप विरचित किए गए और उसने दोषी न होने का अभिवाक् किया । इसलिए पूर्वोक्त अभिकथित अपराधों के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष उसका विचारण किया गया । विचारण के दौरान, अभियोजन पक्ष की ओर से 12 साक्षियों अर्थात् अभि. सा. 1 से अभि. सा. 12 की परीक्षा की गई और 17 प्रदर्श – प्रदर्श पी. 1 से पी. 17 और तात्विक वस्तु 1 से तात्विक वस्तु 4 को चिह्नित किया गया । किसी प्रतिरक्षा साक्षी की परीक्षा नहीं की गई थी और अभि. सा. 6 की प्रतिपरीक्षा के दौरान प्रदर्श डी-1 से डी-3 चिह्नित किए गए थे ।

4. विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करते हुए तारीख 25 फरवरी, 2014 के निर्णय द्वारा अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया । विशेष न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर राज्य ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै न्यायपीठ के समक्ष 2015 की दांडिक अपील (एमडी) सं. 6 फाइल की । मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै न्यायपीठ के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा दोषमुक्ति को उलट दिया और अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 7, 13(2) और 13(1)(घ) के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया और एक वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश अधिरोपित किया तथा 5,000/- रुपए की शास्ति भी अधिरोपित की । उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णयों और आदेशों द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि और अधिरोपित दंडादेश से व्यथित होकर अभियुक्त ने इस न्यायालय के समक्ष ये अपीलें फाइल की हैं ।

5. हमने अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ

काउंसेल श्री एस. नागामुथु और तमिलनाडु राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल को सुना ।

6. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री नागामुथु ने अभिलेख पर के साक्ष्य और अन्य सामग्री की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हुए यह दलील दी कि उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के उस भली-भांति सकारण निर्णय को जो अभिलेख पर के मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करके सुनाया गया था, विधिमान्य और तर्कपूर्ण कारणों के बिना उलट दिया गया है । **मुरुगेसन और अन्य** बनाम **राज्य** मार्फत **पुलिस निरीक्षक**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लेते हुए मुख्य रूप से यह दलील दी गई कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किया गया निष्कर्ष अभिलेख पर के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक "संभाव्य मत" है और यदि अन्य मत संभाव्य है, तो भी यह मत दोषमुक्ति को उलटने और अभियुक्त को दोषसिद्ध करने का कोई आधार नहीं है । विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों को निर्दिष्ट करते हुए जोरदार रूप से यह दलील दी कि विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया मत एक "संभाव्य मत" है और इस मत के प्रतिकूल कोई निष्कर्ष अभिलिखित किए बिना उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि की है । यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय में कहीं भी ऐसा कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया मत एक "संभाव्य मत" नहीं है । यह दलील दी गई कि तात्विक विरोधाभासों को दृष्टिगत करते हुए विचारण न्यायालय ने अभि. सा. 2, 3 और 5 के परिसाक्ष्य को विधिमान्य कारण अभिलिखित करते हुए अस्वीकार किया था, किंतु उच्च न्यायालय ने कोई कारण दिए बिना इन साक्षियों पर विश्वास किया था । यह दलील दी गई कि यदि उच्च न्यायालय का यह मत था कि अभि. सा. 2, 3 और 5 पर विश्वास किया जा सकता है, तो यह अभिनिर्धारित किए बिना कि विचारण न्यायालय द्वारा इन साक्षियों पर विश्वास न करते हुए अपनाया गया

---

[1] (2012) 10 एस. सी. सी. 383.

मत एक "संभाव्य मत" नहीं है, उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था । यह भी दलील दी गई कि अभिलिखित किए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों को न तो गलत और न ही अयुक्तियुक्त कहा जा सकता है । अभिलेख पर के मौखिक साक्ष्य को निर्दिष्ट करते हुए यह भी दलील दी गई कि महत्वपूर्ण साक्षियों के परिसाक्ष्य में तात्विक विरोधाभास हैं और उच्च न्यायालय ने इन विरोधाभासों पर विचार किए बिना अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया और दंडादेश अधिरोपित किया । आगे यह भी दलील दी गई कि उच्च न्यायालय ने आरंभ में तारीख 28 अगस्त, 2020 के निर्णय द्वारा अपीलार्थी की केवल अधिनियम की धारा 13(1)(घ) के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन दोषसिद्धि अभिलिखित की थी और एक वर्ष के कारावास तथा तारीख 15 सितम्बर, 2020 के आदेश द्वारा 5,000/- रुपए के जुर्माने का दंडादेश अधिरोपित किया था । तथापि, उसके पश्चात् न्यायालय द्वारा स्वयमेव तारीख 22 सितम्बर, 2020 को पुन: अपील का "उल्लेख करने के लिए" शीर्षक के अधीन सूचीबद्ध किया गया और अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 7 के अधीन भी दोषसिद्ध किया और फिर तारीख 29 सितम्बर, 2020 के आदेश द्वारा अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपराध के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश अधिरोपित किया । यह दलील दी गई कि तारीख 22 सितम्बर, 2020 को सुनाया गया दोषसिद्धि का उक्त निर्णय और तारीख 29 सितम्बर, 2020 का दंडादेश, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 362 के अतिक्रमण में है । यह दलील दी गई कि जब एक बार निर्णय सुना दिया गया था और दोषसिद्धि अभिलिखित कर दी गई थी, तब न तो मामले कोई उल्लिखित करने के लिए और न ही अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए मामले को सूचीबद्ध कर सकता था । अंत में यह दलील दी गई कि इस मामले में निर्णय को तारीख 17 दिसम्बर, 2019 को आरक्षित रखा गया था और निर्णय छह माह से अधिक की अवधि के पश्चात् अर्थात् 28 अगस्त, 2020 को सुनाया गया था, इसलिए इससे **अनिल राय इत्यादि**

बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय में अंतर्विष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों का अतिक्रमण हुआ है ।

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल, श्री एम. योगेश कन्ना ने यह दलील दी कि अभि. सा. 2, 3, 5 और अभि. सा. 11 के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह साबित होता है कि अपीलार्थी-अभियुक्त ने संविदा का विस्तार करने के लिए अभि. सा. 2 के आवेदन पर कार्यवाही करने के लिए तारीख 10 अक्तूबर, 2003 को 500/- रुपए और एक सेलफोन की रिश्वत के रूप में मांग की थी और इसे प्रतिगृहीत किया था । यह दलील दी गई कि अभिलेख पर तर्कपूर्ण और विधिमान्य साक्ष्य होने के बावजूद विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया था और उच्च न्यायालय द्वारा इसे ठीक ही उलटा गया था, इसलिए इसमें हस्तक्षेप करने के लिए कोई आधार नहीं है । यह भी दलील दी गई कि संशोधित प्रार्थना के निबंधनों के अनुसार, अपीलार्थी ने केवल तारीख 22 सितम्बर, 2020 के निर्णय और तारीख 29 सितम्बर, 2020 को दंडादेश अधिरोपित करने वाले आदेश को प्रश्नगत किया है, इसलिए अधिनियम की धारा 13(2) और 13(1)(घ) के अधीन अपराध के लिए अभिलिखित दोषसिद्धि और अधिरोपित दंडादेश को चुनौती नहीं दी है । यह दलील दी गई कि विचारण न्यायालय ने छुट-पुट विरोधाभासों को विचार में लेकर अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया था, इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया मत एक "संभाव्य मत" नहीं था और उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को ठीक ही दोषसिद्ध किया गया था और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है ।

8. दोनों पक्षों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् हमने आक्षेपित निर्णयों और विशेष न्यायालय द्वारा सुनाए गए दोषमुक्ति के निर्णय तथा अभिलेख पर के अन्य मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का परिशीलन किया ।

9. इन अपीलों में, यह उल्लेखनीय है कि अभि. सा. 2 मुख्य साक्षी

---

[1] (2001) 7 एस. सी. सी. 318 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 3173.

है और शिकायतकर्ता था । वह एनएसीएसएस नामक एक स्वैच्छिक सेवा संगठन में एक पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत था, जिसे मदुरै नगरपालिका निगम के वार्ड सं. 8 के लिए संविदा आधार पर सफाई कार्य दिया गया था । मंजूरी प्राधिकारी, जिसने अपीलार्थी को अभियोजित करने की मंजूरी दी थी, उसकी अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा की गई थी और शिकायतकर्ता थिरु डी. गोपाल की अभि. सा. 2 के रूप में परीक्षा की गई थी । अभि. सा. 2, 3, 5 और 11 के परिसाक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वे अभियुक्त के कार्यालय में तारीख 10 अक्तूबर, 2003 को 5.30 बजे अपराह्न में पहुंचे थे और उस सुसंगत समय पर अभियुक्त को सीट पर नहीं पाया और उन्होंने उसके आने की प्रतीक्षा की और अपीलार्थी अपनी बाइक पर 5.45 बजे अपराह्न में कार्यालय आया । अभि. सा. 2 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया था कि जब वह अन्य साक्षियों श्री शानमुगवेल और श्री रवि कुमारन के साथ अपीलार्थी-अभियुक्त से मिला, तो अपीलार्थी ने 500/- रुपए और एक सेलफोन की मांग की । इस साक्षी ने यह कथन किया कि ऐसी मांग को देखते हुए उसने पाउडर लगे करंसी नोट और सेलफोन सौंपे जो अभियुक्त द्वारा प्राप्त किए गए और मेज की बाईं ओर की दराज में रख दिया । शासकीय साक्षी थिरु शानमुगवेल की अभि. सा. 3 के रूप में परीक्षा की गई थी । उसने भी अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया कि जब वे अभियुक्त के कार्यालय में आए थे तब अभियुक्त अपनी सीट पर नहीं था । इसलिए उन्होंने प्रतीक्षा की और अभियुक्त 5.45 बजे अपराह्न में कार्यालय आया । अभि. सा. 2 ने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि वह अभियुक्त से पहले कई बार मिला था और पुन: जब वह तारीख 9 अक्तूबर, 2003 को अभि. सा. 5 के साथ अभियुक्त से मिला, तो अपीलार्थी-अभियुक्त ने 500/- रुपए और एक सेलफोन की अवैध पारितोषण के रूप में मांग की । अभि. सा. 2 ने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि उसने पहले कभी भी अभियुक्त को नहीं देखा था और अपीलार्थी-अभियुक्त ने यह मांग तब की थी जब वह पहली बार तारीख 9 अक्तूबर, 2003 को उससे मिला था । अभि. सा. 2 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया गया कि अभियुक्त द्वारा पहले कई बार उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था क्योंकि वह

अनुसूचित जाति समुदाय का है । उसके अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी और अभि. सा. 2 के बीच दुर्भावना थी । साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि करंसी नोट और सेलफोन सौंपने के पश्चात् वह अन्य साक्षियों के साथ जो उसके साथ थे, कार्यालय से बाहर आए और निरीक्षक को संकेत किया । अभि. सा. 2 ने प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया कि उसके पास तात्विक वस्तु 2 सेलफोन खरीदने के संबंध में कोई ब्यौरा नहीं है । साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि छापा 5.45 बजे अपराह्न में मारा गया था, तो भी फिनोलफेथालियन परीक्षण केवल 7.00 बजे अपराह्न में किया गया था । यह दर्शित करने के लिए कतई कोई साक्ष्य नहीं है कि 5.45 बजे अपराह्न से 7.00 बजे अपराह्न का इतना अत्यधिक विलंब क्यों हुआ था । नगर सहायक स्वास्थ्य अधिकारी और विभाग के अन्य पदधारियों का कार्यालय अपीलार्थी के कार्यालय के निकट ही है । अभि. सा. 3 ने स्पष्ट शब्दों में यह अभिसाक्ष्य दिया कि भ्रष्टाचार निवारण के पदधारियों की मांग पर ही अभियुक्त ने धन और सेलफोन, जो मेज की दराज में थे, बाहर निकाले थे और प्रस्तुत किए थे । मदुरै निगम के सर्किल स्वास्थ्य निरीक्षक, जिसकी अभि. सा. 4 के रूप में परीक्षा की गई थी, ने प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसे कोई अनुमान नहीं था कि उसके कार्यालय पहुंचने से पूर्व क्या हो रहा था और इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि उसे 500/- रुपए और सेलफोन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि किसके द्वारा और कब से इसे रखा गया था । उसने प्रतिपरीक्षा में भी यह अभिसाक्ष्य दिया कि केवल निरीक्षक के निदेश पर अपीलार्थी धन और सेलफोन लेकर आया था । श्री रवि कुमारन, जिसकी अभि. सा. 5 के रूप में परीक्षा की गई थी, का अभिसाक्ष्य भी इसी प्रकार है । अभियोजन पक्ष की ओर से एक अन्य मुख्य साक्षी अभि. सा. 11 अर्थात् पुलिस उप अधीक्षक, बोडिनयाक्कनुर उपमंडल का है, जो सुसंगत समय के दौरान पुलिस उप अधीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार निवारण प्रखंड, मदुरै के रूप में कार्यरत था । उसने भी अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि अपीलार्थी-अभियुक्त का 7.00 बजे अपराह्न में सोडियम कार्बोनेट के तैयार घोल से परीक्षण किया गया था । सभी साक्षियों, अर्थात्, अभि.

सा. 2, 3, 5 और 11 के अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट है कि छापा 5.45 बजे अपराह्न में मारा गया था और अपीलार्थी के हाथों का परीक्षण केवल 7.00 बजे अपराह्न में किया गया था । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 11 ने प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया था कि जब वे घटनास्थल को लगभग एक घंटे से मानिटर कर रहे थे और उस अवधि के दौरान अपीलार्थी के कार्यालय में बहुत सारे व्यक्ति आए और बाहर गए थे । स्वीकृत रूप से, फिनोलफेथालियन परीक्षण पूर्ण होने के पश्चात्, अपीलार्थी का कथन सतर्कता मैनुअल के नियम 47 के खंड 1 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार अभिलिखित नहीं किया गया था । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 11 ने प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप में यह भी अभिसाक्ष्य दिया था कि उसने अपीलार्थी-अभियुक्त के हाथों का परीक्षण धन का संदाय करने और सेलफोन सौंपने के तुरंत पश्चात् नहीं किया था । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 4 और अभि. सा. 11 दोनों ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया था कि जब टीएलओ ने रिश्वत की रकम और सेलफोन के बारे में पूछा था, केवल तब अभियुक्त ने अपनी मेज की बाईं तरफ की दराज से निकाल कर इन्हें प्रस्तुत किया था । यह भली-भांति सुस्थिर है कि जब मामले में सारभूत साक्ष्य विश्वसनीय न हो, दूषित धन की मात्र बरामदगी, जिसका उन परिस्थितियों से मेल नहीं खाता है जिनमें वह धन और वस्तु पाई गई है, अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है । मुख्य साक्षियों के अभिसाक्ष्य में ऊपर यथा उल्लिखित तात्विक विरोधाभासों को देखते हुए संदेह का फायदा अभियुक्त-अपीलार्थी को मिलना चाहिए ।

10. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल, श्री नागामुथु द्वारा मुख्य रूप से यह दलील दी गई कि अभिलेख पर के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया मत एक "संभाव्य मत" है । यह दलील दी गई कि विचारण न्यायालय ने दोषमुक्ति के लिए अपने निष्कर्षों के समर्थन में तर्कपूर्ण और विधिमान्य कारण अभिलिखित किए हैं । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के अधीन दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील और दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील के बीच कोई फर्क नहीं किया गया है । **चंद्रप्पा और अन्य**

बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में के निर्णय में इस न्यायालय ने पूर्ववर्ती मामलों की लंबी कतार पर विचार करते हुए दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील पर विचार करते हुए अपील न्यायालय की शक्तियों के संबंध में साधारण सिद्धांत अधिकथित किए थे । निर्णय का पैरा 42, जो सुसंगत है, निम्न प्रकार से है :-

> "42. हमारी सुविचारित राय में, उपर्युक्त विनिश्चयों से दोषमुक्ति के आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील पर विचार करते समय अपील न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित हुए –
>
> (1) अपील न्यायालय को उस साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने, पुनर्मूल्यांकन करने और पुनर्विचार करने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है, जिसके आधार पर दोषमुक्ति का आदेश किया गया है ।
>
> (2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत ऐसी शक्ति के प्रयोग पर कोई परिसीमा, निर्बन्धन या शर्त नहीं है और अपील न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर तथ्य और विधि दोनों ही प्रश्नों पर अपने स्वयं के निष्कर्ष निकाल सकेगा ।
>
> (3) विभिन्न अभिव्यक्तियां जैसे "सारभूत और बाध्यकारी कारण", "मान्य और पर्याप्त कारण", "अत्यंत प्रबल परिस्थितियां," "गलत निष्कर्ष", "स्पष्ट त्रुटियां", इत्यादि से दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर कार्रवाई करते समय अपील न्यायालय की व्यापक शक्तियों को कम करने के लिए आशयित नहीं हैं । ऐसे शब्द का प्रयोग, साक्ष्य का पुनर्विलोकन करने की न्यायालय की शक्ति को सीमित करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा अपील न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने की अनिच्छुकता पर बल देने के लिए "अलंकारिक

---

[1] [2008] 4 उम. नि. प. = (2007) 4 एस. सी. सी. 415.

भाषा" की प्रकृति का है ।

(4) तथापि, अपील न्यायालय को अवश्य यह ध्यान में रखना चाहिए कि दोषमुक्ति के मामले में अभियुक्त के पक्ष में दोहरी उपधारणा होती है । प्रथमत:, उसे दांडिक विधि शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत के अधीन यह निर्दोषिता की उपधारण उपलब्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा उसकी दोषिता साबित नहीं कर दी जाती । दूसरे, अभियुक्त की दोषमुक्ति होने पर उसकी निर्दोषिता की उपधारणा को विचारण न्यायालय द्वारा और प्रबल, पुन: पुष्ट और दृढ़ कर दी जाती है ।

(5) यदि अभिलेख पर के साक्ष्य के आधार पर दो युक्तियुक्त निष्कर्ष निकाले जाने संभव हों तब अपील न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए दोषमुक्ति के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए ।"

इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल द्वारा अवलंब लिए गए **मुरुगेसन** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित की गई दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में उच्च न्यायालय की शक्तियों पर विचार किया था । उक्त निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया कि केवल उन मामलों में जहां विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किया गया निष्कर्ष एक संभाव्य मत नहीं है, उच्च न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है और दोषमुक्ति को दोषसिद्धि में उलट सकता है । उक्त निर्णय में, "संभाव्य मत" और "गलत मत" या "असत्य मत" के विभेद को स्पष्ट किया गया है । इस न्यायालय ने स्पष्ट निबंधनों में यह अभिनिर्धारित किया कि यदि विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया मत एक "संभाव्य मत" है, तो उच्च न्यायालय दोषमुक्ति को दोषसिद्धि में नहीं उलटेगा । इस संबंध में सुसंगत पैरा, जहां "संभाव्य मत" के अर्थ और विविक्षा को "गलत मत" और "असत्य मत" से सुभिन्न करते हुए चर्चा की गई है, वे निर्णय के पैरा 32 से 35 हैं जो

निम्नलिखित हैं :–

"32. उपरोक्त तथ्यों में क्या यह कहा जा सकता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया मत एक संभाव्य मत नहीं है ? यदि उत्तर सकारात्मक है, तो पहले निर्दिष्ट किए गए विधि के सिद्धांतों के आधार पर अपीलार्थी-अभियुक्त की दोषमुक्ति में हस्तक्षेप करने के लिए उच्च न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था । दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति को केवल तभी उलटा जा सकता था यदि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए निष्कर्षों से एक संभाव्य मत प्रतिबिम्बित नहीं था । इस बात पर बल देना होगा कि हस्तक्षेप करने के इस अवरोध को अवश्य केवल एक ऐसी स्थिति के लिए समझना चाहिए जहां विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया मत एक संभाव्य मत न हो । "संभाव्य मत" अभिव्यक्ति का प्रयोग चैतन्य है न कि ठोस कारणों से रहित । उक्त अभिव्यक्ति "गलत मत" या "असत्य मत" जैसी अभिव्यक्तियों की विरोधाभासी है जो प्रथम दृष्टि में एक समान अर्थ देने वाली प्रतीत हो सकती है यद्यपि इनमें एक सक्षम और स्पष्ट अंतर स्पष्ट रूप से इन्द्रियगोचर है ।

33. 'गलत' (इरोनूयस) 'असत्य' (रांग) और 'संभाव्य' (पॉसिबल) अभिव्यक्तियों को ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोष में निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है :–

'गलत (इरोनूयस)' – असत्य ; अशुद्ध (रांग ; इनकरेक्ट)

असत्य (रांग) – (1) सही या सत्य नहीं ; (नॉट करेक्ट आर ट्रू, मिसटेकन)

(2) गलत अन्यायपूर्ण, बेईमान या अनैतिक (अनजस्ट, डिस्आनेस्ट आर इम्मोरल) ।

संभाव्य (पॉसिबल) – (1) विद्यमान होने, घटित होने या प्राप्त करने योग्य (कपेबल आफ एग्जिस्टिंग, हेपनिंग ऑर बिंग अचिवड)

(2) जो विद्यमान या घटित हो सकता है, किंतु जो निश्चित या अधिसंभाव्य नहीं है ।'

34. हमारे लिए इस बात पर बल देना आवश्यक होगा कि एक संभाव्य मत ऐसी राय का द्योतक है जो विद्यमान हो सकती है या ऐसी राय की सत्यता या अन्यथा को विचार में लाए बिना इसे बनाया जा सकता है । निचले अधिक्रम के किसी न्यायालय द्वारा अपनाए गए मत को किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा मात्र असहमत होने पर गलत या असत्य कहा जा सकता है । किंतु उच्चतर न्यायालय का कोई ऐसा निष्कर्ष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनाए गए मत को एक संभाव्य मत के कार्यक्षेत्र से बाहर नहीं कर देगा । किसी न्यायालय द्वारा निकाले गए किसी निष्कर्ष की शुद्धता या अन्यथा की परख इस आधार पर की जानी चाहिए कि उच्चतर न्यायिक प्राधिकारी सही निष्कर्ष होने के बारे में क्या महसूस करता है । दूसरी ओर, एक संभाव्य मत ऐसे निष्कर्ष का द्योतक है जिस पर इस बात को विचार में लाए बिना युक्तियुक्त रूप से पहुंचा जा सकता है कि चाहे उच्चतर न्यायालय द्वारा इससे सहमति व्यक्त की जाती है या नहीं । दोनों स्थितियों के बीच की मूलभूत सुभिन्नता को ध्यान में रखा जाना चाहिए । जब तक कि विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया मत युक्तियुक्त रूप से बनाया जा सकता हो, इस बात को विचार में लाए बिना कि क्या उच्च न्यायालय इससे सहमत है या नहीं ; विचारण न्यायालय द्वारा अपनाए गए मत को वर्जित नहीं किया जा सकता है और उच्च न्यायालय के मत को विचारण न्यायालय के मत पर थोपा नहीं जा सकता है ।

35. प्रस्तुत मामले में विद्वान् विचारण न्यायालय ने दोषमुक्ति के अपने आदेश को जिस आधार पर आधारित किया था उस पर विचार करने पर स्पष्ट रूप से एक संभाव्य मत प्रतिबिम्बित होता है । तथापि, इसकी शुद्धता पर असहमति हो सकती है । किंतु परीक्षण यह नहीं है । जब तक कि जो मत अपनाया गया है उस पर पहुंचना असंभाव्य न हो और उसके लिए दिए गए कारण अभिलेख पर के साक्ष्य और सामग्री से संबद्ध करने

योग्य प्रकट होते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए आगे किसी संवीक्षा की आवश्यकता नहीं है ।"

इसके अतिरिक्त, **हाकीम खान और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील न्यायालय की शक्तियों पर विचार किया था जहां विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति अभिलिखित की गई है । उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि विचारण न्यायालय के "संभाव्य मत" से उच्च न्यायालय सहमत नहीं है, तब भी विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए ऐसे संभाव्य मत को वर्जित नहीं किया जा सकता है । यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि जब तक कि विचारण न्यायालय का मत युक्तियुक्त से बनाया जा सकता हो, इस बात को विचार में लाए बिना कि उच्च न्यायालय उस मत से सहमत है या नहीं, विचारण न्यायालय के अधिमत को वर्जित नहीं किया जा सकता है और उच्च न्यायालय विचारण न्यायालय के मत पर अपना मत नहीं थोप सकता है । निर्णय का पैरा 9 निम्न प्रकार से है :–

"9. पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् हमारा यह मत है कि दोषमुक्ति के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए विचारण न्यायालय का निर्णय एक संभाव्य मत से भी अधिक है और उन सत्रह व्यक्तियों को दोषसिद्ध करना सुरक्षित नहीं होगा जो कि हत्या अर्थात् भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन अभियुक्त हैं । विचारण न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण कारण जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह था कि शीतऋतु की सायंकाल में 6.30 बजे से 7.00 बजे अपराह्न के समय पर विचार किया जाए तो उस समय अंधेरा रहा होगा और इसलिए सत्रह व्यक्तियों की शनाख्त करना अत्यंत कठिन रहा होगा । इस कारण से और साथ-ही-साथ इस तथ्य से कि एकमात्र स्वतंत्र साक्षी पक्षद्रोही हो गया था और दो अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की, जो स्वतंत्र साक्षी थे, परीक्षा नहीं की गई थी, निश्चित रूप से

---

[1] (2017) 5 एस. सी. सी. 719 = ए. आई. आर. 2017 एस. सी. 1723.

अभियोजन के पक्षकथन में एक बड़ी खामी पैदा होती है । इसके अतिरिक्त, इस तथ्य से भी कि अभियुक्त पक्ष के तीन व्यक्तियों को क्षतियां पहुंची थीं जिनमें से दो को खोपड़ी पर गहरी क्षतियां थीं, यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई पूर्व-चिंतन नहीं था और यह पूरी अधिसंभाव्यता है कि हाथापाई हुई थी जिसके कारण दोनों पक्षों को क्षतियां पहुंचीं थीं । जबकि प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल का यह कहना सही हो सकता है कि विचारण न्यायालय यह कहने में अति उत्साहित था कि शिकायतकर्ता पक्ष आक्रामक था, किंतु विचारण न्यायालय का दोषमुक्ति पर पहुंचने वाला अंततोगत्वा निष्कर्ष निश्चित रूप से इस मामले के तथ्यों के आधार पर एक संभाव्य मत है । इसके साथ-साथ यह तथ्य भी है कि घटना के सरगना सरपंच की मौजूदगी ही इस बात को देखते हुए संदेहास्पद हो जाती है कि वह कुछ दूरी से न्यायालय में हाजिर हुआ था और घटना के पश्चात् बस से वहां पहुंचा था ।"

11. प्रस्तुत मामले में, उपर्युक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए और अभिलेख पर के साक्ष्य से हमारी यह सुविचारित राय है कि तात्विक विरोधाभासों, जिनका हमने पहले ऊपर उल्लेख किया है और विचारण न्यायालय के निर्णय में भी निर्दिष्ट किया गया है, को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि दोषमुक्ति एक "संभाव्य मत" है । इस न्यायालय द्वारा उन निर्णयों में, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, यथा अधिकथित विनिश्चयाधार को लागू करते हुए यदि यह मान भी लिया जाए कि एक अन्य मत संभाव्य है, तो भी यह बात दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करने और अपीलार्थी को अभिकथित अपराध के लिए दोषसिद्ध करने के लिए कोई आधार नहीं है । साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि जब निरीक्षणकर्ता अधिकारी और अन्य साक्षी, जिनकी अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षा की गई थी, अपीलार्थी-अभियुक्त के कार्यालय गए थे, तब अपीलार्थी कार्यालय में नहीं था और कार्यालय खुला था तथा लोग अपीलार्थी के कार्यालय में आ-जा रहे थे । अभि. सा. 3, 5 और 11 के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा करंसी नोट और सेलफोन मेज की दराज से उनके कहने पर निकाले गए थे । इसका भी कोई कारण नहीं है कि जब दूषित नोट और सेलफोन 5.45 बजे अपराह्न में अपीलार्थी को दिए गए थे, कोई अभिलेखन नहीं किया गया था और

अभि. सा. 11 द्वारा 7.00 बजे अपराह्न तक अपीलार्थी का परीक्षण नहीं किया गया था । अभि. सा. 2 के अभिसाक्ष्य में तात्विक विरोधाभास हैं और उसके अभिसाक्ष्य से यह स्पष्ट है कि उसे अपीलार्थी से विद्वेष हो गया था और उसने स्वयं प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया था कि पूर्वत्तर में उसका अपमान किया था चूंकि वह अनुसूचित जाति का है । इसके अतिरिक्त, दूषित नोट और सेलफोन सौंपने के लगभग एक घंटे के पश्चात् फिनोलफेथालियन परीक्षण करने के लिए अभि. सा. 11 का कोई उत्तर नहीं है । विचारण न्यायालय ने अभि. सा. 2, 3 और 5 को कई सारे विधिमान्य और तर्कपूर्ण कारण अभिलिखित करके अविश्वसनीय ठहराया था, किंतु उच्च न्यायालय ने उचित परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का मूल्यांकन किए बिना विचारण न्यायालय द्वारा अपनाए मत को उलट दिया । इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किया कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया मत एक "संभाव्य मत" है या नहीं । यद्यपि, उच्च न्यायालय का यह मत था कि अभि. सा. 2, 3 और 5 पर विश्वास किया जा सकता है, तो भी जब तक यह अभिनिर्धारित नहीं किया जाता है कि साक्षियों को अविश्वसनीय ठहराने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया मत एक संभाव्य मत नहीं है, उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित की गई दोषमुक्ति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था । तात्विक विरोधाभासों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं किया है ।

12. यह भी समान रूप से सुस्थिर है कि मात्र बरामदगी से स्वयंमेव अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन पक्ष के आरोप को साबित नहीं किया जा सकता है । **सी. एम. गिरिश बाबू** बनाम **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, कोचिन, केरल**[1] और **बी. जयराज** बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य**[2] वाले मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों के प्रतिनिर्देश किया जा सकता है । इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 13(1)(घ)(i) और (ii) के अधीन मामले पर विचार करते हुए

---

[1] (2009) 3 एस. सी. सी. 779.

[2] (2014) 13 एस. सी. सी. 55.

यह दोहराया गया कि आरोप को साबित करने के लिए युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त ने स्वेच्छा से धन यह जानते हुए प्रतिगृहीत किया था कि यह रिश्वत है । अवैध परितोषण के लिए मांग करने के सबूत का अभाव होना और करंसी नोट मात्र कब्जे में होना या बरामदगी होना ऐसे अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है । उक्त निर्णय में यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि यहां तक कि अधिनियम की धारा 20 के अधीन उपधारणा भी तब की जा सकती है जब अवैध परितोषण के लिए मांग और इसके प्रतिग्रहण की बात साबित हो जाती है । यह भलीभांति सुस्थिर है कि दांडिक विधिशास्त्र में निर्दोषिता की आरंभिक उपधारणा विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति से दोगुनी हो जाती है । **बी. जयराज** (उपर्युक्त) वाले मामले में के निर्णय का सुसंगत पैरा 7, 8 और 9 निम्नलिखित हैं :–

> "7. जहां तक धारा 7 के अधीन अपराध का संबंध है, विधि में यह स्थिर स्थिति है कि उक्त अपराध का गठन करने के लिए अवैध परितोषण की मांग अत्यावश्यक है और करंसी नोटों की मात्र बरामदगी से धारा 7 के अधीन अपराध का तब तक गठन नहीं हो सकता है जब तक कि सभी युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि अभियुक्त ने धन स्वेच्छा से यह जानते हुए प्रतिगृहीत किया था कि यह रिश्वत है । उपरोक्त स्थिति को इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में स्पष्ट और सारगर्भित रूप से अधिकथित किया गया है । दृष्टांत स्वरूप सी. एम. शर्मा **बनाम** आंध्र प्रदेश राज्य [(2010) 15 एस. सी. सी. 1 = (2013) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 89] और गिरिश बाबू **बनाम** केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो [(2009) 3 एस. सी. सी. 779 = (2009) 2 एस. सी. सी. (क्रिमिनल) 1] वाले मामले में के विनिश्चय के प्रतिनिर्देश किया जा सकता है ।
>
> 8. प्रस्तुत मामले में, जहां तक अभियुक्त द्वारा मांग करने का संबंध है, शिकायतकर्ता ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया था । अभियोजन पक्ष ने जब शिकायतकर्ता द्वारा अभियुक्त को अभिकथित रूप से धन सौंपा गया था उस समय मौजूद किसी अन्य साक्षी की परीक्षा यह साबित करने के लिए नहीं

की थी कि वह धन अभियुक्त द्वारा की गई किसी मांग के अनुसरण में सौंपा गया था । शिकायतकर्ता ने स्वयं उस बात को अस्वीकार किया है जो उसने एल. डब्ल्यू-9 के समक्ष आरंभिक शिकायत (प्रदर्श पी-11) में कही थी और यह साबित करने के लिए कोई अन्य साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने कोई मांग की थी, इसलिए अभि. सा. 1 के साक्ष्य और प्रदर्श पी-11 की अंतर्वस्तुओं का यह निष्कर्ष निकालने के लिए अवलंब नहीं लिया जा सकता है कि उपरोक्त सामग्री अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से की गई मांग का सबूत है । अत: हम यह अभिनिर्धारित करने के लिए तैयार है कि विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके ठीक नहीं किया था कि अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से की गई मांग साबित होती है । केवल अन्य उपलब्ध सामग्री अभियुक्त के कब्जे से दूषित करंसी नोट की बरामदगी है । वास्तव में अभियुक्त द्वारा स्वयं इस कब्जे की बात को स्वीकार किया गया है । मांग के सबूत के बिना करंसी नोट मात्र अभियुक्त के कब्जे में होने और उससे बरामदगी होने से धारा 7 के अधीन अपराध साबित नहीं हो जाएगा । उपरोक्त बात, जहां तक धारा 13(1)(घ)(i) और (ii) के अधीन अपराध का संबंध है, निश्चायक होगी क्योंकि अवैध परितोषण के लिए मांग के किसी सबूत के अभाव में, एक लोक सेवक के रूप में भ्रष्ट या अवैध साधनों का प्रयोग करके या कोई मूल्यवान वस्तु या धनीय लाभ अभिप्राप्त करने के लिए पद का दुरुपयोग करने की बात को सिद्ध किया गया अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता है ।

9. जहां तक अधिनियम की धारा 20 के अधीन की जाने वाली अनुज्ञेय उपधारणा का संबंध है, ऐसी उपधारणा केवल धारा 7 के अधीन अपराध के संबंध में की जा सकती है न कि अधिनियम की धारा 13(1)(घ)(i) और (ii) के अधीन अपराधों के संबंध में । किसी भी स्थिति में, केवल अवैध परितोषण के प्रतिग्रहण का सबूत होने पर ही अधिनियम की धारा 20 के अधीन यह उपधारणा की जा सकती है कि ऐसा परितोषण कोई पदीय कृत्य करने या करने से प्रविरत रहने के लिए प्राप्त किया गया था । अवैध परितोषण के

> प्रतिग्रहण का सबूत केवल तभी हो सकता है यदि मांग का सबूत हो । चूंकि प्रस्तुत मामले में ऐसे सबूत का अभाव है, वे प्राथमिक तथ्य जिनके आधार पर धारा 20 के अधीन विधिक उपधारणा की जा सके, पूरी तरह से नदारद हैं ।"

इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए उक्त मत से अपीलार्थी के पक्षकथन का पूरी तरह से समर्थन होता है । अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षा किए गए मुख्य साक्षियों के अभिसाक्ष्यों में हमारे द्वारा ऊपर उल्लिखित विरोधाभासों को देखते हुए, हमारा यह मत है कि अपीलार्थी द्वारा रिश्वत की रकम और सेलफोन की मांग और इनके प्रतिग्रहण की बात युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं होती है । अभिलेख पर के ऐसे साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित की गई दोषमुक्ति एक "संभाव्य मत" है, इसलिए उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त किए जाने के लिए उपयुक्त है । भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के उपबंधों के अधीन दोषसिद्धि अभिलिखित करने से पूर्व न्यायालयों को साक्ष्य की समीक्षा करने में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए । जब एक बार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के उपबंधों के अधीन दोषसिद्धि अभिलिखित कर दी जाती है, तो इससे उस व्यक्ति द्वारा की गई सेवा पर गंभीर परिणामों के अतिरिक्त समाज में एक सामाजिक कलंक भी लग जाता है । साथ-ही-साथ, यह भी उल्लेखनीय है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा अपनाया गया मत एक संभाव्य मत है या नहीं, इस बारे में कोई निश्चायक प्रतिपादना नहीं हो सकती है और प्रत्येक मामले का निर्णय, अभिलेख पर के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, उसके स्वयं के गुणागुण के आधार पर किया जाना चाहिए ।

13. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपराध के लिए तारीख 22 सितम्बर, 2020 और 29 सितम्बर, 2020 का निर्णय और दोषसिद्धि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 362 के प्रतिकूल है । चूंकि हम अपीलार्थी के पक्षकथन से सहमत हैं, इसलिए इस मुद्दे का विनिश्चय करना आवश्यक नहीं है । राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि ज्ञापन की संशोधित प्रति के अनुसार अपीलार्थी ने केवल तारीख 22 सितम्बर, 2020 और 29 सितम्बर, 2020 के निर्णय/आदेश को चुनौती दी है और

तारीख 28 अगस्त, 2020 के दोषसिद्धि के पूर्ववर्ती निर्णय और तारीख 15 सितम्बर, 2020 के दंडादेश के आदेश को चुनौती नहीं दी गई है, किंतु साथ-ही-साथ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब अधिनियम की धारा 7 के अधीन अपराध के लिए बाद में तारीख 22 सितम्बर, 2020 को निर्णय सुनाया गया था और तारीख 29 सितम्बर, 2020 के आदेश द्वारा दंडादेश भी अधिरोपित किया गया था, तब अपीलार्थी ने संशोधन की ईप्सा करते हुए अंतवर्ती आवेदन फाइल किया था और इसे इस न्यायालय द्वारा मंजूर किया गया था । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, मात्र इस कारण से कि अपीलार्थी ने संशोधित ज्ञापन में तारीख 28 अगस्त, 2020 के निर्णय और तारीख 15 सितम्बर, 2020 के आदेश के बारे में उल्लेख नहीं किया था, ऐसी तकनीकता के आधार पर इन अपीलों के नामंजूर करने का कोई आधार नहीं है । इसके अतिरिक्त, राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा अवलंबित निर्णयों से उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित की गई दोषसिद्धि को कायम रखने के लिए उसके पक्षकथन के समर्थन में कोई सहायता नहीं मिलती है ।

14. ऊपर उल्लिखित कारणों से, ये अपीलें मंजूर की जाती हैं और तारीख 28 अगस्त, 2020 तथा 28 अगस्त, 2020 के दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णयों और तारीख 15 सितम्बर, 2020 और 29 सितम्बर, 2020 के दंडादेश अधिरोपित करने वाले आदेशों को तद्द्वारा अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी को, यदि किसी अन्य मामले के संबंध में अन्यथा उसकी अभिरक्षा की आवश्यकता नहीं है, तुरंत अभिरक्षा से रिहा कर दिया जाए ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

जस.